कार्यालय— अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत) निवारण फोरम, जगदलपुर

छ0स्टे0पा0डिस्ट्री0कं0लि0, का क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल,
वन विद्यालय के सामने, गीदम रोड, जगदलपुर (छ0ग0) पिनकोडः—(494—001)

विषयः— बी0पी0क्र0 1009210081 में विद्युत देयक भुगतान के संबंध में।

प्रकरण क्रमांकः—
"जगदलपुर / 1 / 2026"

श्री कुलदीप नारायण अग्रवाल, ...आवेदक
ग्रामः— हलबा कचोरा, जगदलपुर
मो0नं0 9424270257

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा0 / संधा0) संभाग, ...अनावेदक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
जगदलपुर (छ.ग.)

आदेश

(आज दिनांक 02—02—2026 को पारित किया गया)

(1) आवेदक के मूल शिकायत दिनांक 01.01.2026 यह है कि :—

सविनय निवदेन है कि, मैं श्री कुलदीप नारायण अग्रवाल, ग्राम हलबा कचोरा, जगदलपुर में विद्युत विभाग से निशुल्क विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1009210081 कृषि कार्य हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त विद्युत कनेक्शन कृषि कार्य हेतु उपयोग हो रहा है जिसमें कनेक्शन दिनांक से विद्युत देयक राशि 2450 / — रू0 भुगतान हेतु बिल प्रेषित् किया जा रहा है। जबकि उक्त विद्युत कनेक्शन निशुल्क है।

अतः श्रीमान जी निवेदन है कि, उक्त विद्युत देयक राशि 2450 / — रू0 भुगतान हेतु बिल किया जा रहा है उसे विलोपित करने की कृपा हों। साथ ही शासन से मिलने वाली छुट आगामी देयकों में प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

(2) यह कि अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा0 / संधा0), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जगदलपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांकः 5004 दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से फोरम को सूचित किया कि :—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42 (5) विद्युत अधिनियम'2003 के तहत् नोटिस जारी करते हुए प्रकरण क्रमांक जगदलपुर / 01 / 2026 आवेदक

जगदलपुर

श्री कुलदीप नारायण अग्रवाल बी0पी0 क्रमांक 1009210081 के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण के निराकरण के संबंध में बिन्दुबार जानकारी निम्नानुसार है :–

1. शिकायत का निपटारा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा सकता है।

2. उक्त प्रकरण पर निपटारा संभव है।

3. प्रकरण के संबंधित जवाबदावा एवं दस्तावेज के संबंध में सहायक अभियंता (उपसंभाग) छ0स्टैटपॉ0डि0कंपनी लिमिटेड, जगदलपुर ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके उपसंभागांतर्गत कृषि पंप हेतु नवीन कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन फ्लैट रेट टैरिफ दर (LV3AG3Fl21) पर किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा आवेदन किये जाने के पश्चात् नियमानुसार कनेक्शन SAP में दिनांक 11.05.2024 को जारी किया गया। उपभोक्ता को प्रथम बिल मई 2024 को रू0 3,140.00 एवं जून 2024 का बिल रू0 3,494.78 में जारी किया गया था। जिस पर उपभोक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने पर उपभोक्ता के विद्युत देयक को विद्युत वितरण कंपनी के नियमानुसार फ्लैट रेट टैरिफ दर से देयक को पुनरीक्षित किया गया। तदानुसार प्रति माह प्रति एच0पी0 रू0 100/–की दर से माह मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक 3 एच0पी0 कनेक्शन हेतु प्रतिमाह रू0 300.00 का विद्युत देयक अधिभार सहित रू0 1,831.00 जारी किया गया था।

किन्तु उपभोक्ता द्वारा उक्त जारी विद्युत देयक का भुगतान नहीं किया गया तथा पुनः उपभोक्ता द्वारा दिनांक 25.11.2024 को कृषि पंप कनेक्शन में कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत 6000 यूनिट छूट टैरिफ दर (LV3AG3KJ21) करने हेतु आवेदन दिया गया साथ ही पूर्व बकाया राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने हेतु मौखिक रूप से सहमति दी गई। तदानुसार उपभोक्ता को माह नवम्बर 2024 से माह नवम्बर 2025 तक कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत टैरिफ पर (LV3AG3KJ21) बिलिंग की गयी। चूंकि उपभोक्ता द्वारा पूर्व का बकाया विद्युत देयक का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अधिभार सहित बकाया राशि रूपये 2,490.00 का हो गयी है। उक्त राशि भुगतान करवाना उचित प्रतित होता है।

(3) यह कि, दिनांक 30.01.2026 को सुनवाई में अनावेदक श्री प्रदीप कुमार अग्रवानी, कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, जगदलपुर एवं आवेदक श्री कुलदीप नारायण, जगदलपुर उपस्थित हुए। जिसमें उभयपक्षों द्वारा निम्नानुसार कथन किया गया कि :–

(क) आवेदक का कथनः–

(i) मेरे द्वारा कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से लिया हुँ।

(ii) विद्युत कनेक्शन लेने के बाद दो तीन महिने में बिल मिला। तब मैं बिल को लेकर संबंधित अधिकारी पिंकी नाग, कनिष्ठ यंत्री, जगदलपुर से मिला।

(iii) बिल के संबंध में कनिष्ठ यंत्री द्वारा बताया गया कि इस बिल को ठीक कर देगें। जिसके बाद पुनः मुझे देयक जारी किया गया जिस पर मैंने फिर से कनिष्ठ यंत्री से बात किया उनके द्वारा ठीक है देखेंगे कहा गया।

(ख) अनावेदक का कथनः—

(i) उपभोक्ता द्वारा आवेदन किये जाने के पश्चात् उपभोक्ता का फ्लैट रेट दर टैरिफ के अनुसार देयक जारी किया गया था। जारी देयक में उपभोक्ता द्वारा खेद व्यक्त किये जाने पर देयक को जांच कर सूधार किया गया। उसके पश्चात् उपभोक्ता द्वारा नवम्बर 2024 में दिये गये आवेदन अनुसार उक्त कनेक्शन को KJJY के श्रेणी में रखते हुए टैरिफ में परिवर्तीत कर देयक जारी किया जा रहा है।

(ग) फोरम द्वारा पुछे गये प्रश्न :—

प्रश्नः— उपभोक्ता श्री कुलदीप नारायण अग्रवाल से पुछा गया कि, कृषि से संबंधित कार्यों के लिए देयक की स्थिति क्या है।

आवेदक का जवाबः— उपभोक्ता द्वारा बताया गया कि कृषि कार्य हेतु निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसी के तहत् मैंने पम्प हेतु आवेदन किया एवं मुझे विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया।

प्रश्नः— कार्यपालन यंत्री से पुछा गया कि, किसानों का नये कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन फ्लैट रेट टैरिफ दर पर किये जाने संबंधी कोई आदेश/निर्देश है क्या।

अनावेदक का जवाबः— नवीन कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन फ्लैट रेट दर पर करने का कोई आदेश/निर्देश नहीं है। यह स्वविवेक से क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रश्नः— कार्यपालन यंत्री द्वारा यह बताया गया कि प्रथम बिल मई 2024 में 3140.00 जून में 3494.94 पैसे जारी किया गया था यदि पम्प कनेक्शन फ्लैट रेट में रजिस्ट्रेशन किया गया एवं

टैरिफ भी उसी दर पर लगाई गई तब यह कैसे संभव है कि एक माह का 300 से बढ़कर 3140.00 एवं दूसरे माह का 3494.78 कैसे हो गया।

अनावेदक का जवाबः— तत्कालीन कार्यालय प्रभारी द्वारा फ्लैट रेट टैरिफ में Code 4 प्रोग्राम नहीं चलाये जाने के कारण गलत देयक जारी हुआ था उपभोक्ता द्वारा कार्यालय में सूचित करने पर जांचे जाने पर संज्ञान में आया कि Code 4 प्रोग्राम नहीं चलाये जाने के कारण देयक में त्रुटि हुई है जिससे फ्लैट रेट नियम अनुसार सही किया गया।

प्रश्नः— क्या फ्लैट रेट करने हेतु उपभोक्ता का आवेदन प्राप्त हुआ था।

अनावेदक का जवाबः— उपभोक्ता द्वारा फ्लैट रेट करने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि उपभोक्ता द्वारा बिल सही करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रश्नः— उक्त कृत्यों के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के ऊपर क्या कार्यवाही की गई।

अनावेदक का जवाबः— उपभोक्ता फोरम में आने के बाद संज्ञान में आया क्योंकि यह प्रकरण उपभोक्ता फोरम में विचाराधीन है एवं मुझे जवाबदावा मांगा गया तब जानकारी हुई।

प्रश्नः— उपभोक्ता को नवम्बर 2025 तक का बिल अधिभार सहित रू0 2490.00 का दिया गया है क्या आपके अनुसार सही बिल है।

अनावेदक का जवाबः— तत्कालीन प्रभारी द्वारा उपभोक्ता को देयक संबंध में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण जारी देयक उचित प्रतीत नहीं होता।

प्रश्नः— आपके द्वारा विवादित राशि रू0 2490.00 का विलोपन कितने दिवस में किया जावेगा।

अनावेदक का जवाबः— माह फरवरी 2026 का देयक जो मार्च 2026 में जारी होगा इस देयक में सुधार कर (विलोपन) देयक जारी किया जावेगा।

(4) फोरम के निष्कर्ष — उभय पक्षों के मौखिक एवं लिखित तर्कों के अवलोकन उपरांत फोरम के संज्ञान में ज्ञात तथ्य निम्नानुसार है —

(i) यह कि, आवेदक श्री कुलदीप नारायण अग्रवाल, ग्राम हलबा कचोरा, जगदलपुर में विद्युत विभाग से निशुल्क विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1009210081 कृषि कार्य हेतु लिया गया है। जिसमें कनेक्शन दिनांक से विद्युत देयक राशि 2450/— रू0 भुगतान हेतु बिल उपभोक्ता को प्रेषित् किया जा रहा है।

जगदलपुर

(ii) यह कि, अनावेदक द्वारा अपने जवाबदावा लेख कर बताया गया है कि, कृषि पंप हेतु नवीन कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन फ्लैट रेट टैरिफ दर (LV3AG3Fl21) पर किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा आवेदन किये जाने के पश्चात् नियमानुसार कनेक्शन SAP में दिनांक 11.05.2024 को जारी किया गया। उपभोक्ता को प्रथम बिल मई 2024 को रू0 3,140.00 एवं जून 2024 का बिल रू0 3,494.78 में जारी किया गया था। जिस पर उपभोक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने पर उपभोक्ता के विद्युत देयक को विद्युत वितरण कंपनी के नियमानुसार फ्लैट रेट टैरिफ दर से देयक को पुनरीक्षित किया गया। तदानुसार प्रति माह प्रति एच0पी0 रू0 100/—की दर से माह मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक 3 एच0पी0 कनेक्शन हेतु प्रतिमाह रू0 300.00 का विद्युत देयक अधिभार सहित रू0 1,831.00 जारी किया गया था।

किन्तु उपभोक्ता द्वारा उक्त जारी विद्युत देयक का भुगतान नहीं किया गया तथा पुनः उपभोक्ता द्वारा दिनांक 25.11.2024 को कृषि पंप कनेक्शन में कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत 6000 यूनिट छूट टैरिफ दर (LV3AG3KJ21) करने हेतु आवेदन दिया गया साथ ही पूर्व बकाया राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने हेतु मौखिक रूप से सहमति दी गई। तदानुसार उपभोक्ता को माह नवम्बर 2024 से माह नवम्बर 2025 तक कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत टैरिफ पर (LV3AG3KJ21) बिलिंग की गयी। चूंकि उपभोक्ता द्वारा पूर्व का बकाया विद्युत देयक का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अधिभार सहित बकाया राशि रूपये 2,490.00 का हो गयी है। उक्त राशि भुगतान करवाना उचित प्रतित होता है।

(iii) यह कि, उपभोक्ता द्वारा विद्युत कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन फ्लैट रेट दर पर करने हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया। नवीन कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन फ्लैट रेट दर पर करने की कोई आदेश/निर्देश नहीं है। यह अनावेदक द्वारा स्वविवेक से कार्यवाही किया गया।

(iv) यह कि, उपभोक्ता को जो देयक जारी किया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता। जिसे विलोपन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(v) यह कि, अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि उक्त विवादित राशि रू0 2490.00 का विलोपन माह फरवरी 2026 का देयक जो मार्च 2026 में जारी होगा इस देयक में सुधार कर (विलोपन) देयक जारी किया जावेगा।

(उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जगदलपुर)

(5) फोरम का निर्णय – आवेदक एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित तथ्यों एवं दस्तावेजों के अध्ययन/विवेचन से फोरम इस निर्णय पर पहुंचता है कि –

(i) यह कि, फोरम द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के उक्त विवादित राशि रू0 2490.00 का विलोपन किया जावे। जिसका पालन प्रतिवेदन फोरम कार्यालय जगदलपुर को उपलब्ध करावें। इसके साथ ही नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कृषक (आवेदक) को टैरिफ की जानकारी प्रदान की ज़ावे तदानुसार आवेदन का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित की जावे। अनावश्यक रूप से उपभोक्ता की हुई परेशानी के लिये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को समझाइश दी जावे।

(6) आदेश पारित।

(7) प्रकरण निराकृत।

(8) यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिवस के भीतर **माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर (छ0ग0)** में अपील कर सकता है।

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर